

डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी करने पर जताया केंद्र सरकार का आभार

यह आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहतर कदम

ह्यूमन इंडिया/ब्यूरो

गुरुग्राम। केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जारी की गई नियमों की अधिसूचना ने संबंधित इंडस्ट्री में उत्साह भर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एनटिटीज ऑफ इंडिया ने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे मजबूत कदम करार दिया है।

एसोसिएशन के महासचिव हेम पांडे ने भारत सरकार की दो दिन पहले 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाये गए नियमों का स्वागत करते हुए कहा कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक नए युग का आगाज है। इन रूल्स के आने से देश की



जनता में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक भरोसा पैदा होगा। इतना ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियों पर शिंका भी कसा जा सकेगा। बता दें कि बीती 5 दिसम्बर को दिल्ली में एक समिट करके केंद्र सरकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स बनाने की मांग की गई थी। इस मांग पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने 28 दिसम्बर को नियमों की अधिसूचना जारी कर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राहत दी है। गुरुग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए महासचिव हेम पांडे ने केंद्र सरकार का अभिवादन करते हुए कहा कि भारत सरकार के नए डायरेक्ट सेलिंग नियम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे।